

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक:
प्रेषक,

यो0ब02/1-10/2025-861 स्वी / यो0वि0, पटना, दिनांक 25 नवम्बर, 2025

कैवल तनुज,
सचिव,

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से
परामर्शित

द्वारा:-

विषय:

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-35, मुख्य शीर्ष-2052 के उप शीर्ष-0010 के विषय शीर्ष-0101-वेतन, 0103-जीवन यापन भत्ता, 0105-परिवहन भत्ता, 0106-चिकित्सा भत्ता, 0107-अन्य भत्ता तथा उप शीर्ष-0012 के विषय शीर्ष-0107-अन्य भत्ता में कुल 83,15,000/- (तिरासी लाख पन्द्रह हजार) रुपये राशि के पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि की स्वीकृति।

आदेश:

बिहार वित्तीय नियमावली भाग (I) के नियम-489 के अनुपालन में स्वीकृति।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विपत्र कोड 35-2053000940007 के विषय शीर्ष-0105-परिवहन भत्ता में 83,15,000/- (तिरासी लाख पन्द्रह हजार) राशि की बचत होने के फलस्वरूप, विपत्र कोड-35-2052000900010 के विषय शीर्ष-0101-वेतन में 50,00,000/- (पचास लाख), 0103-जीवन यापन भत्ता में 25,00,000/- (पचीस लाख), 0105-परिवहन भत्ता में 6,00,000/- (छः लाख), 0106-चिकित्सा भत्ता में 1,00,000/- (एक लाख), 0107-अन्य भत्ता में 40,000/- (चालीस हजार) तथा विपत्र कोड-35-2052000900012 के विषय शीर्ष-0107-अन्य भत्ता में 75,000/- (पचहत्तर हजार) अर्थात् कुल 83,15,000/- (तिरासी लाख पन्द्रह हजार) रुपये राशि संलग्न पशिष्ट-1 के अनुसार पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अनुलग्नक : यथोक्त।

ज्ञापांक:
प्रतिलिपि:

यो0ब02/1-10/2025-861 स्वी / यो0वि0, पटना, दिनांक 25 नवम्बर, 2025
(1) वित्त विभाग, बजट शाखा/ससूचन शाखा, बिहार, पटना।

आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृति को विभाग के साईट पर अपलोड कर दें।

सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना

